



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:- एफ. 951(19) ()परावि/लेखा/नि.आ./जिला परिषद/सुविधा/ 7204

जयपुर, दिनांक: 11/10/2017

—:अधिसूचना:—

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक:-एफ 951 (19) (41) परावि/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/2012-13/2494 दिनांक 01.04.2013 द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय मानदेय की दरों में निम्नानुसार संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

मानदेय की दरें:-

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रु. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रु. प्रतिमाह
1.	2.	3.
जिला प्रमुख, जिला परिषद	9000 / -	10000 / -
प्रधान, पंचायत समिति	6000 / -	7000 / -
सरपंच, ग्राम पंचायत	3500 / -	4000 / -

जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंच को मानदेय राशि का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि से किया जावेगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 101702662 दिनांक 01.06.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।


राज्यपाल की आज्ञा से

(नवीन महाजन)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
5. सचिव राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रा.वि.परा विभाग।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राज. जयपुर।
11. निदेशक वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव, विधि (समन्वय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को तीन प्रतियों सहित।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
14. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज. जयपुर को पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
15. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
16. आचार्य, ग्राम सेवक के प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर (जोधपुर), अजमेर एवं डूंगरपुर को पांच-पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
17. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
18. संयुक्त शासन सचिव प्रशासन प्रथम/द्वितीय/प्रशिक्षण/विधि मुख्यालय।
19. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
20. संपादक, राजस्थान विकास मुख्यालय को राजस्थान विकास पत्रिका में प्रकाशनार्थ।
21. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को राजस्थान गजट पत्र भाग-4 में कृपया तत्काल प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।


शासन सचिव एवं आयुक्त
(पंचायती राज)